संख्या- 47/2017/610 /71-1-2017-जी-176/2015

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 23 मार्च, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मेडिकल कालेज, सहारनपुर के निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा उक्त प्रायोजना की अनुमोदित मूल लागत रू0 24654.20 लाख आकलित की गयी, जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-583/26-ब0प्र0-2008-जी-136/07टी0सी0, दिनॉक 24-06-08 द्वारा प्रदान की गयी। प्रायोजना में वृद्धि के फलस्वरूप व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 25-01-2010 में उक्त प्रायोजना की मूल लागत रू0 38631.98 लाख तथा वित्त व्यय समिति की बैठक दिनॉक 09-11-2012 को मिट्टी भराई मद में रू0 284.55 लाख आंकलित की गयी थी। इस प्रकार व्यय वित्त समिति द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 38916.53 लाख आकलित की गयी। इसी पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-115/26-ब0प्र0-2011-जी-136/ 07, दिनॉक 21-02-2011 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2- वास्तविक कार्यक्षेत्र में हुई वृद्धि एवं लागत दरों के पुनरीक्षित होने के कारण दिनॉक 22-01-15 को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में उक्त प्रायोजना की संशोधित लागत रू0 51000.00 लाख अनुमोदित की गयी है। शासनादेश संख्या-27/2015/414/71-1-15-जी-136/07, दिनॉक 26-02-15 द्वारा पुनः अनुमोदित लागत रू0 51000.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। मेडिकल कालेज, सहारनपुर हेतु फर्नीचर क्रय के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 23-08-2016 में की गयी संस्तुति तथा फर्नीचर क्रय हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के उपरांत परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 51911.70 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-27/2017/397/71-1-2017-जी-176/2015, दिनॉक 6-02-2017 निर्गत की गई है।

3- उक्त प्रायोजना के लिए समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा कुल रू0 43224.43 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1.	49/26-ब0प्र0-2007-जी-136/2007, दिनॉक 28-01-2008	500.00
2.	एमई/केश/06/48, दिनॉक 08-07-2008	2000.00
3.	एमई/केश/06/48, दिनॉक 10-01-2009	2000.00
4.	बी-2-1531/दस-20-जी-136/2007, दिनॉक 27-05-2009	2000.00
5.	बी-2-1935(1)/दस/2009, दिनॉक 09-07-2009	2500.00
6.	बी-2-2578(1)/दस/2009, दिनॉक 15-09-2009	2200.00
7.	बी-2-3335/दस/2009, दिनॉक 27-11-2009	2127.12
8.	32/26-ब0प्र0-2010-जी-136/2007, दिनॉक 15-01-2010	7198.83
9.	115/26-ब0प्र0-2011-जी-136/2007, दिनॉक 23-02-2011	5000.00
10.	679/71-1-2011-जी-136/2007, दिनॉक 15-06-2011	1000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11.	518/71-1-2012-जी-136/2007, दिनॉक 25-03-2012	1923.10
12.	5150/71-1-2013-जी-136/2007, दिनॉक 11-02-2013	1000.00
13.	338/71-1-2013-जी-136/2007, दिनॉक 07-03-2013	3000.00
14.	518/71-1-2012-जी-136/2008, दिनॉक 25-03-2013	1000.00
15.	863/71-1-2013-जी-136/2007, दिनॉक 31-03-2013	2308.98
16.	747/71-1-2014-जी-136/2007, दिनॉक 04-03-2014	936.40
17.	27/2015/414/71-1-2015-जी-136/2007, दिनॉक 26-02-2015	2030.00
18.	101/2015/661/71-1-2015-जी-136/2007, दिनॉक 21-04-2015	2197.03
19.	152/2015/1746/71-1-2015-जी-136/2007, दिनॉक 31-08-2015	302.97
20.	161/2015/2077/71-1-2015-जी-136/2007, दिनॉक 20-09-2015	1000.00
21.	27/2017/397/71-1-2017-जी-136/2007, दिनॉक 16-02-2017	1000.00
	योग-	43224.43

4- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2016-17/1114, दिनॉक 17.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मेडिकल कालेज, सहारनपुर के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3,02,97,000/- (रू0 तीन करोड़ दो लाख सत्तानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

3- प्रायोजना के अन्तर्गत माड्यूलर ओ0टी0, लिफ्ट, डम्प एलीवेटर, लाण्ड्री, किचेन उपकरण, स्टीम ब्वायलर, सोलर वाटर हीटर, सी0एस0एस0डी0 सिस्टम, ई0पी0बी0एक्स0 सिस्टम, साउण्ड सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डाटा नेटवर्किंग सिस्टम, आडियो वीडियो सिस्टम, डी0जी0 सेट, आडीटोरियम की कुर्सियॉ आदि से संबंधित कार्यमदें प्रस्तावित की गयी है, जो प्रोप्राइटरी श्रेणी के है, क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत से अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: महानिदेशक/प्रधानाचार्य से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाए।

4- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने हेतु महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप् पर शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जाय। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

6- परियोजना पर आगामी वित्तीय स्वीकृति तभी निर्गत की जाएगी, जब कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व निर्गत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा प्रधानाचार्य द्वारा गुणवत्तापरक एवं संतोषजनक कार्य पूर्ण होने का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

7- उक्त अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-मेडिकल कालेज, सहारनपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनॉक 22 मार्च, 2016 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीया

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:-47/2017/610(1)/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, सहारनपुर।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।